न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 26/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/106

अपीलाण्ट :-
नायरा एनर्जी डिपो सवाईपुरा, तहसील रोहट जरिये प्रबंधक पंकज बोभाट नायरा एनर्जी डिपो, सवाईपुरा रोहट जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :-
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी
सरकारी पैरोकार उपस्थित

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- **01.10.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार रोहट के प्रकरण संख्या 01/2024 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2024 के विरूद्ध पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी वक्त बहस उपस्थित हुये। सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर आराजी खसरा संख्या 273/4 रकबा 19.08 बीघा भूमि है जिस पर अपीलाण्ट काबिज है व उक्त भूमि पर बाउण्ड्री वॉल भी बनी हुई है परन्तु हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर खसरा संख्या 273/32 पर बाउण्ड्री वॉल बताकर जो जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, काबिले खारिज है। धारा 91 की कार्यवाही अमल में लाये जाने के बाद भूमि का सीमांकन किये जाना आवश्यक है क्योंकि विवाद सीमा का है कि जो बाउण्ड्री वॉल बनी हुई है वह खसरा संख्या 273/4 पर है अथवा खसरा संख्या 273/32? अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो जैर अपीलाधीन आदेश पारित किये गया है वह बिना सीमांकन किया गया है। अतः जैर अपीलाधीन आदेश की कोई विधिकता नहीं होने से काबिले खारिज है। अपीलाण्ट अपने एप्रुव्ड मेप के अनुसार तथा जिला कलक्टर पाली द्वारा जिन खसरान् पर अनापत्ति-पत्र जारी किया है उन्हीं खसरों पर बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किया गया है व अपीलाण्ट खसरान् की भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ की है तथा पेट्रॉलियम एकत्रित करने के लिए टेंक बने हुए है इसलिए बाउण्ड्री का होना नितान्त आवश्यक है व नियमों के अनुसार 02 किलोमीटर के दायरे में किसी प्रकार से आबादी व अन्य कार्य की स्थिति भी कानूनन नहीं है, बावजूद दीवार तोड़ने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया जो विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय में हल्का पटवारी के बयान नहीं लिये गये तथा न ही संबंधित दस्तावेज हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः नायब तहसीलदार रोहट द्वारा जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज फरमावे।

जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

सरकारी पैरोकार ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट को पर्याप्त सुनवाई व जवाब का अवसर दिया गया है व जैर आदेश पूर्णतया नियमानुसार ही जारी किया गया है। अतः अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जैर अपील सारहीन बलहीन होने से सव्यय खारिज फरमावे।

प्रकरण में समयशुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि तहसीलदार द्वारा खसरा संख्या 273/32 रकबा 0.1619 हैक्टेयर में से 0.02475 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि का अतिक्रमी अपीलाण्ट को मानते हुए जहां उसने पक्की दीवार बना रखी है उस पर बेदखली एवं जुर्माने का आदेश पारित किया है।

अपीलाण्ट का प्रमुख उज्र यह है कि अपीलाण्ट की बाउण्ड्री वॉल खसरा संख्या 273/4 में बनी हुई है एवं खसरा संख्या 273/4 के पश्चिम उत्तर की तरफ रास्ते की भूमि खसरा संख्या 273/32 है जो रास्ता मौके पर अलग है तथा रास्ता मौके पर सुचारू रूप से चालू है तथा खसरा संख्या 273/32 रास्ते के खसरा संख्या 182/8 में दबी हुई है। अपीलाण्ट स्वयं की भूमि खसरा संख्या 273/4 पर ही काबिज है। मुख्यतया खसरा संख्या 273/4 व खसरा संख्या 273/32 में सीमा विवाद है तथा विवादित भूमि नपती किये बिना व स्थाई मुटाम के बिना उक्त कार्यवाही की उचितता नहीं रहती। अपीलाण्ट द्वारा लम्बे समय से संवेदनशील पेट्रॉलियम पदार्थों के लिए बाउण्ड्री वॉल बना रखी है तथा सीमा विवाद का बिना निस्तारण किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है यह औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

हमारे द्वारा देखने पर यह पाया गया कि आराजी संख्या 273/4 व खसरा संख्या 273/32 दोनों सीमावर्ती खसरा है तथा खसरा संख्या 273/32 जिसकी किस्म रास्ता है उसका कुल रकबा 1699 वर्गमीटर होता है उसमें से 247 वर्गमीटर यानि करीब मूल आराजी का लगभग 10–15 प्रतिशत अपीलाण्ट का अतिक्रमण होना माना गया है। क्षेत्रफल 247 वर्गमीटर भूमि को पेट्रॉलिंग पदार्थों को संग्रहण स्थल की बाउण्ड्री वॉल में माना जाने से पूर्व, तहसीलदार के लिए यह लाजमी था कि वह एक उपयुक्त दल का गठन कर अतिक्रमण का वास्तविक सीमांकन कर कार्यवाही करते परन्तु इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार सीमा विवाद हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतएव अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को, मामले की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों के एक दल का गठन कर स्थाई सीमा ज्ञान से अतिक्रमण का पुनः निर्धारण अपीलाण्ट की उपस्थिति में किया जाकर विधिवत जांच कर पुंनः आगामी 02 माह की अवधि में नव सरे निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक **01.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner